



Court Case No - 517/23.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-167/MP/3/2021-ESDW

डॉ. पल्लवी जैन गोविल,  
प्रमुख सचिव,  
जनजातीय कार्य विभाग,  
मध्य प्रदेश शासन,  
आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास,  
भोपाल -462004, मध्य प्रदेश  
ई-मेल: pstwd@mp.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 14.06.2023 को अपराहन 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, 6 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. आदिवासी हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि गबन/भ्रष्टाचार/घोटाले के दोषियों पर एफ.आई.आर दर्ज कराने के सम्बन्ध में श्री पुनीत टंडन, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 15.12.2021 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.12.2021.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 05, जून, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

